उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या– 1538 / 15–7–2012

लखनऊ : दिनांक : 23 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2012

परिपत्र

आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में जहाँ हम एक ओर विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में तम्बाकू एवं उसके अन्य उत्पादों के प्रति बच्चों में झुकाव आ रहा है। इससे न केवल उनका कोमल मन–मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रहा है। यह स्थिति विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। तम्बाकू उपभोग में अग्रणी भूमिका में होने के कारण उत्तर प्रदेश के युवाओं में कैंसर, हृदयाघात एवं श्वसन संबंधी बीमारियाँ महामारी के स्तर पर पहुँच चुकी हैं। तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपभोग स्तर में कोई कमी नहीं आ पा रही है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के गत वर्ष के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.4 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का उपभोग कर रहे हैं। कैंसरकारी पदार्थ के रूप में तम्बाकू की भूमिका स्वयंसिद्ध है। तम्बाकू उपभोग का न तो कोई सुरक्षित तरीका है और न ही कोई सुरक्षित मात्रायुक्त खुराक।

इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को तम्बाकू द्वारा शरीर में होने वाले कुप्रभावों से अवगत कराते हुए बच्चों को जागरूक करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में सरकारी / गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निम्नलिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन स्तर से निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) सभी विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं के बाहर, मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाय, जिस पर "तम्बाकू मुक्त विद्यालय" प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त के साथ ही विद्यालय / शिक्षण संस्था के सभी प्रमुख स्थानों पर "तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान आदि का सेवन करना दण्डनीय अपराध है" के बोर्ड भी प्रदर्शित किये जॉय।

(2) विद्यालय / शिक्षण संस्था में शिक्षक / छात्र / कर्मचारी / आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे।

(3) विद्यालय / शिक्षण संस्था में एक तम्बाकू निषेध कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें शिक्षक / छात्र, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों।

(4) विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं में तम्बाकू नियंत्रण कार्यशालायें प्रमुखता से आयोजित की जॉय।

—2—

(5) विद्यालयों में पैरेण्ट्स–टीचर्स एसोसिएशन की होने वाली बैठकों में भी तम्बाकू एवं उसके विभिन्न उत्पादों के निषेध पर चर्चा की जाय तथा तम्बाकू निषेध कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद में अवस्थित समस्त सरकारी/गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। तद्नुसार कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,मा0शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपरोक्तानुसार अपने स्तर से निर्देशित कर दें तथा समस्त सरकारी/गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयो में इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2– सहायक निदेशक (खेल) शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
3– अपर सचिव (पाठ्यपुस्तक), माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

u.o